न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 62/2020

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001

–– प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मुरारी लाल पुत्र पूर्णमल नायक, निवासी वार्ड नं0 8, सिंघाना, बडा मौहल्ला, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
   Also At
   मुरारी लाल प्लॉट एट पट्टा नं0 11, ग्राम सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
2. श्रीमती सुशीला पत्नि मुरारीलाल
3. पूर्णमल नायक पुत्र रामजीलाल
4. मुकेश कुमार पुत्र देवकाराम निवासी वार्ड नं0 6 सिंघाना, भक्तों का मौहल्ला, जिला झुंझुनूं
   –– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

––

उपस्थितः–

1 एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा (एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0) –......... प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 19.11.2020

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष मे उनके आवेदन पर केडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे रूपये **4.00 लाख** अक्षरे चार लाख की ऋण सुविधा ऋण खाता संख्या L9001060113768485(पुराना ऋण खाता संख्या SAME) दिनांक **08.11.2017** स्वीकृत की गई थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः–
अचल सम्पत्तिः– प्लाट एट पट्टा नं0 11 ग्राम सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं नपती 54.50 Sq. Yrdअप्रार्थी मुरारीलाल के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से हैः–

पूर्व मे	: मकान प्रवीण
पश्चिम मे	: मकान संतलाल
उत्तर मे	: मंकान संतलाल
दक्षिण मे	: आम रास्ता

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण एवं ब्याज को चुकाने मे चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक के द्वारा दिनांक 1**0.12.2019** को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन0पी0ए0) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 17**.01.2020** को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 के तहत प्रेषित कर 60

दिवस के बकाया ऋण राशि 379914–(**अक्षरे तीन लाख उन्यासी हजार नौ सौ चौदह रूपये** मय ब्याज व खर्चा **दिनांक** दिनांक **10.12.2019** से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त गिरवीकृत सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा रोक नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालों से खाली करवा के भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यहं जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitistion and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति (अचल सम्पत्ति :– प्लाट एट पट्टा नं0 11 ग्राम सिंघाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं नपती 54.50 Sq. Yrdअप्रार्थी मुरारीलाल के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से हैः–पूर्व मे : मकान प्रवीण, पश्चिम मे : मकान संतलाल,उत्तर मे : मंकान संतलाल तथा दक्षिण मे : आम रास्ता है।) का पजेशन प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक **19.11.2020** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनू 19/11/2020
जिला कलक्टर झुंझुनू